आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :आगरा,तहसील :आगरा
वाद संख्या :-3186/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2022118013186
सावित्री देवी,सुनीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा - गामरी तहसील आगरा

आदेश।

श्री श्यामा श्याम चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा श्रीमती सावित्री देवी पत्नी भीमसैन निवासी गामरी तहसील व जिला आगरा व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री निवास निवासी 101 जे0आर0सिल्वर एस्टेट नियर कामायनी हॉस्पीटल आगरा ने मौजा गामरी तहसील व जिला आगरा के खाता संख्या 00350 की गाटा संख्या 52मि0 रकबा 0.3415 हैक्टे0 व खाता संख्या 00017 की गाटा संख्या 52मि0 रकबा 0.3415 हैक्टे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6830 हैक्टे0 को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण की जॉच हेतु तहसीलदार सदर आगरा को अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय जॉच करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार सदर आगरा ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 16.11.2022 प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया है कि मौजा गामरी तहसील व जिला आगरा के खाता संख्या 00350 की गाटा संख्या 52मि0 रकबा 0.3415 हैक्टे0 व खाता संख्या 00017 की गाटा संख्या 52मि0 रकबा 0.3415 हैक्टे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6830 हैक्टे0 पर श्री श्यामा श्याम चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा श्रीमती सावित्री देवी पत्नी भीमसैन निवासी गामरी तहसील व जिला आगरा व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री निवास निवासी 101 जे0आर0सिल्वर एस्टेट नियर कामायनी हॉस्पीटल आगरा का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर खातेदार दर्ज है। आवेदकगण उक्त भूमि के मालिक काबिज दखील है। मौके पर निर्माण कार्य हो रहा है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विवादित होना संज्ञान में नही है और ना ही इस आशय का कोई आदेश खतौनी में दर्ज है। उक्त भूमि ग्रामसभा/सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य नही हो रहा है। नकल खसरा संलग्न है। भूमि को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। भूमि किसी योजना में अधिगृहीत/प्रस्तावित नहीं है। भूमि आबादी/अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया है कि प्रश्नगत भूमि पर वह भविष्य में कृषि कार्य नही करेगा। राजस्व संहिता नियमावली के नियम 85(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय आगरा द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार इस कृषि भूमि की दर ,60,00,000/-रूपये प्रति हैक्टे0/ है, जिसका 01 प्रतिशत मु0 40,980/-रू0 व 40,980/-रू0 की कोर्ट फी स्टाम्प अदा किये जाने पर अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

आवेदक द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त धारा के अन्तर्गत भूमि अकृषक या कृषि से अन्य भूमि घोषित कराने के उपरान्त ऐसे किसी प्रयोजन के प्रयोग में नही लायी जायेगी, जिससे सार्वजनिक न्यूसैंस होने की संभावना हो या सार्वजनिक सुविधा स्वास्थ्य, सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना हो।

तहसीलदार सदर आगरा की आख्या दिनांक 16.11.2022 जिसके साथ संलग्नक नक्शा जिसे लेखपाल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा लाल रोशनाई से प्रदर्शित किया गया है। नकल खतौनी में आवेदक का नाम संक्रमणीय भूमिधर खातेदार के रूप में अंकित है। नकल खसरा व प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न कर भेजा है। क्योंकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान मे कृषि कार्य नही हो रहा है। आवेदक द्वारा अपने शपथपत्र में यह स्वीकार किया है।

आवेदक ने जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार इस कृषि भूमि की दर 60,00,000/ रूपये प्रति हैक्टे0 है, जिसका 01 प्रतिशत प्रार्थी द्वारा मु0

क्रमशः.............2

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :आगरा,तहसील :आगरा
वाद संख्या :-3186/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202211\8013186
सावित्री देवी,सुनीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

41,000/-रू0चालान संख्या- **76** दिनाक 18.11.2022 जमा किया है तथा महानिरीक्षक निबन्धक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 2893/शि0का0लख0/ 2018/तद्दिनांक 30.08.2018 के अनुसार सर्किल रेट का 01 प्रतिशत न्याय शुल्क कोर्ट फी स्टाम्प पेपर मु0 41,000/-रू0 का न्यायालय में दाखिल कर दिये है। तहसीलदार सदर की आख्या के साथ संलग्न शपथपत्र आदि से संतुष्ट होते हुये उक्त प्रश्नगत भूमि मौजा गामड़ी तहसील व जिला आगरा के खाता संख्या 00350 की गाटा संख्या 52मि0 रकबा 0.3415 हैक्टे0 व खाता संख्या 00017 की गाटा संख्या 52मि0 रकबा 0.3415 हैक्टे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6830 हैक्टे0 को धारा-80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। प्रश्नगत भूमि के मध्य अन्य सार्वजनिक भूमि घोषित होने एवं विकास से सम्बन्धित किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत होने की स्थिति व अन्य किसी सक्षम न्यायालय से कोई विपरीत आदेश पारित होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रख्यापन आदेश शून्य/निष्प्रभावी होगा। यह आदेश भूमि के अकृषक प्रयोग उदघोषणा मात्र है। तहसीलदार सदर की आख्या आदेश का अंग होगी। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। आदेश की प्रति सब रजिस्ट्रार तहसील आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 18.11.2022

(दीपक कुमार पाल)
उप जिलाधिकारी (सदर),
आगरा।

TRUE COPY
30/11/22

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) आगरा।

वाद सं0 25 / 11-12

3/1

श्यामा श्याम टीचर्स ट्रेनिंग कालेज
द्वारा सचिव भीमसैन बनाम उ0प्र0 सरकार
अ0धारा-143उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0
मौजा-गामरी
तह0 व जिला- आगरा

नकल प्रमाणित **आदेश** 16.20.10.11

आवेदक श्यामा श्याम टीचर्स ट्रेनिंग कालेज द्वारा सचिव भीमसैन पुत्र भगवान सिंह नि0 ग्राम गामरी, मलपुरा तह0 व जिला आगरा द्वारा मौजा गामरी स्थित भूमि खाता सं0 332 गाटा सं0 54 रकवा 0.3330है0 भूमि को आकृषिक/आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय के आदेश दि0 03.10.2011 के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जॉच हेतु तहसीलदार सदर आगरा को भेजा गया। तहसीलदार सदर आगरा द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल से स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण कराकर आख्या दि0 10.10.2011 पर अपनी संस्तुति आख्या दि0 17.10.2011 प्रस्तुत की। आख्या में उल्लेख किया गया है कि आवेदक श्यामा श्याम टीचर्स ट्रेनिंग कालेज अन्तर्गत श्री श्यामा श्याम चैरिटेबिल ट्रस्ट,101,जे0आर0 सिल्वर एस्टेट निकट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा आगरा द्वारा ट्रस्टीगण भीमसैन पुत्र भगवान सिंह नि0 गामरी व श्री निवास पुत्र रामकिशन नि0 101,जे0आर0सिल्वर एस्टेट निकट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा आगरा का नाम ग्राम गामरी की गाटा संख्या 54/0.3330है0 मा0गु0 6.55पैसे पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, आवेदक काबिज व दाखिल है। आवेदक प्रश्नगत गाटा सं0 54 रकवा 0.3330है0 का पूर्ण खातेदार है व अपने सम्पूर्ण रकवे को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु घोषित कराना चाहता है। आवेदक द्वारा आंशिक रकवे हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत नही किया है। उक्त भूमि के 500मी0 के आस-पास आबादी बनी हुयी है। प्रश्नगत भूमि पट्टे की नही है; प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नही है। प्रश्नगत भूमि का किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि किसी महायोजना में प्रस्तावित नही है। प्रश्नगत भूमि में राजकीय अस्थान, नगर निगम, ग्राम सभा की सीमा का अतिकमण नही किया गया है। मौजा गामरी स्थित प्रश्नगत में भूमि खाता सं0 332 गाटा सं0 54 रकवा 0.3330है0 में कृषि, बागवानी, उधानीकरण, पशुपालन, मत्स्य सम्बर्धन एवं कुक्कट पालन आदि कार्य नही हो रहे है। उक्त भूमि पर विधालय भवन का निर्माण हो रहा है उक्त भूमि को उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक/शैक्षणिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

तहसील की उक्त आख्या के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध नियम 135(1) की सूचना, जिसे क्षेत्रीय लेखपाल एवं तहसीलदार सदर आगरा द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा, जिसमें प्रश्नगत भूमि लाल रोशनाई से प्रदर्शित है, को क्षेत्रीय लेखपाल एवं तहसीलदार सदर आगरा द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया है। नकल खतौनी सन् 1419फ0-1424फ0 में प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। व नकल खसरा सन् 1419फ0 तथा प्रार्थी का शपथ पत्र एवं स्थलीय फोटोग्राफ भी संलग्न कर भेजें है। चूंकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान में कृषि, मत्सय, संवर्धन एवं कुक्कुटपालन के उपयोग में नही आ रही है व तहसील आख्या के साथ संलग्नक शपथ पत्र से सन्तुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि खाता सं0332 की गाटा सं054 रकवा 0.3330है0 मा0गु0 6.55रू0 धारा 143उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 के सपठित नियम 135(3) के अन्तर्गत अकृषिक/शैक्षणिक प्रयोजन भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ संलग्नक उक्त आदेश का अंग रहेगें। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। पत्रावली वाद आ0 कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

20.10.11

(अनिल कुमार)
उप जिलाधिकारी (सदर)

22-12-13

न्यायालय अपर जिलाधिकारी सदर, आगरा।

वाद संख्या 2) /2008-09

श्री श्यामा श्याम चैरिटेबिल ट्रस्ट 101, जे०आर०सिल्वर एस्टेट निकट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा, आगरा द्वारा ट्रस्टीगण भीमसैन आदि

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

धारा-143उ०प्र०ज०वि०एवं भू०व्य०अधि०

मौजा- गामरी,
तह० जिला आगरा।

नकल हस्ताप्रति आदेश दि० 5-12-08

प्रार्थीगण श्री श्यामा श्याम चैरिटेबिल ट्रस्ट 101, जे०आर०सिल्वर एस्टेट निकट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा, आगरा द्वारा ट्रस्टीगण भीमसैन पुत्र भगवान सिंह व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी भीमसैन निवासीगण गामरी व श्रीनिवास पुत्र रामकिशन व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्रीनिवास निवासीगण 101, जे०आर०सिल्वर एस्टेट निकट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा, आगरा द्वारा मौजा गामरी तह० जिला आगरा स्थित भूमि गाटा सं० 31 रकबा 0.9680 है० एवं गाटा सं० 55 मि० रकबा 0.1660 है० को अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रा०पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय के आदेश दिनांक 14-11-08 द्वारा प्रा०पत्र जाँच हेतु तहसीलदार आगरा को भेजा गया। तहसीलदार आगरा द्वारा प्र०क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण कराकर उनकी आख्या दिनांक 24-11-08 अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 28-11-08 प्रस्तुत की। आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम गामरी तह० जिला आगरा की खतौनी सन् 1413फ०लगायत 1418फ० की खाता सं० 20 की गाटा सं० 31 रकबा 0.9680 है०मा०गु० 17-40पै० एवं खाता सं० 211 की गाटा सं० 55 मि० रकबा 0.1660 है०मा०गु० 3-15पै० पर श्री श्यामा श्याम चैरिटेबिल ट्रस्ट 101, जे०आर० सिल्वर एस्टेट निकट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा, आगरा द्वारा ट्रस्टीगण भीमसैन पुत्र श्री भगवान सिंह नि०गामरी व श्रीनिवास पुत्र श्री रामकिशन नि० 101, जे०आर० सिल्वर एस्टेट निकट कामायनी हास्पीटल, सिकन्दरा, आगरा व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री भीमसैन नि०गामरी व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्रीनिवास नि० 101, जे० आर०सिल्वर एस्टेट निकट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा, आगरा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और न ही इसका उपयोग उद्यानीकरण, पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन भी है, के लिए किया जा रहा है। भूमि के चारों ओर से बाउण्ड्रीवाल का निर्माण चल रहा है। गाटा सं० 55 के सहखातेदार को भी सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है, दोनों की भूमि अलग-अलग है, सहमति के हस्ताक्षर भी किये हैं। भूमि किसी महायोजना में प्रस्तावित नहीं है। संस्तुति की है कि उक्त भूमि को उ०प्र०ज०वि०एवं भू०व्य०अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाय।

तहसील की उक्त आख्या के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध नियम 135 ll ll की सूचना, जिसे प्र०रा०नि०, लेखपाल व तहसीलदार द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा, जिसमें प्रश्नगत भूमि लाल रोशनाई से प्रदर्शित है, को क्षेत्रीय लेखपाल, रा०नि०एवं तहसीलदार द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया है। नकल खतौनी सन् 1413फ०1418फ० में प्रार्थीगण का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है व नकल खसरा सन् 1415फ० तथा प्रार्थीगण का सहमति शपथपत्र भी संलग्न कर भेजे हैं। चूँकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान में कृषि, मत्स्यसंवर्धन एवं कुक्कुटपालन के प्रयोग में नहीं आ रही है आख्या के साथ संलग्नक सहमति शपथपत्र के संदर्भ में होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि गाटा सं० 31 रकबा 0.9680 है०मा०गु० 17-40पै०, गाटा सं० 55 मि०/0.1660 है०मा०गु० 3-15पै० कुल 2 किता कुल रकबा 1.1340 है०मा०गु०

अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ संलग्न उक्त आदेश का अंग रहेंगे। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

(धर्मेन्द्र सिंह),
उप जिलाधिकारी (सदर),
आगरा।
5-12-2008

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि
29-10-2013
राजस्व अभिलेखपाल, कलेक्ट्रेट
आगरा

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) आगरा।

वाद सं0 262 11–12
श्री श्यामा श्याम चैरिटेबिल ट्रस्ट
101 जे0आर0 सिल्वर एस्टेट कामायनी हास्पीटल
द्वारा ट्रस्टीगण भीमसैन आदि बनाम उ0प्र0 सरकार
अ0धारा–143उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0
मौजा– गामरी
तह0 व जिला– आगरा

छाया प्रति नकल आदेश दि0 13/4/12

आवेदकगण श्री श्यामा श्याम चैरिटेबिल ट्रस्ट 101 जे0आ0 सिल्वर एस्टेट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा आगरा द्वारा ट्रस्ट्रीगण भीमसैन पुत्र भगवान सिंह नि0 गामरी व श्रीनिवास पुत्र रामकिशन श्रीमती सावित्रीदेवी पत्नी भीमसैन व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्रीनिवास नि0 101 जे0आ0 सिल्वर एस्टेट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा आगरा द्वारा तह0 व जिला आगरा की मौजा गामरी स्थित खाता सं0331 गाटा सं055 रकवा 0.3320हे0 मे 1/2 भाग यानि 0.1660हे0 भूमि की अकृषिक/ आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वर्तमान में उक्त भूमि का प्रयोग शैक्षिक कार्य में किया जा रहा है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जॉच हेतु तहसीलदार सदर आगरा को भेजा गया। तहसीलदार सदर आगरा द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल से स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण कराकर आख्या दिनांक 12.04.2012 अपनी संस्तुति आख्या दि0 12.04.2012 प्रस्तुत की। आख्या में उल्लेख किया गया है कि श्री श्यामा श्याम चैरिटेबिल ट्रस्ट 101 जे0आ0 सिल्वर एस्टेट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा आगरा द्वारा ट्रस्ट्रीगण भीमसैन पुत्र भगवान सिंह नि0 गामरी व श्रीनिवास पुत्र रामकिशन श्रीमती सावित्रीदेवी पत्नी भीमसैन व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्रीनिवास नि0 101 जे0आ0 सिल्वर एस्टेट कामायनी हास्पीटल सिकन्दरा आगरा का नाम बतौर राजस्व अभिलेखों मे सं0भू0 गाटा सं055 रकवा 0.3320हे0 दर्ज है। काबिज व दखील है। प्रश्नगत गाटा सं055 रकवा 0.3320हे0 मे 1/2 भाग की भूमि को पूर्व में ही अकृषिक/आबादी घोषित किया जा चुका है। प्रश्नगत भूमि किसी महायोजना हेतु अधिग्रहित नही है। प्रश्नगत गाटा संख्या में कृषि, उधानीकरण, पशुपालन, मत्स्यसवंर्धन एवं कुक्कुटपालन आदि का कार्य नही हो रहा है। बल्कि आबादी का प्रयोग हो रहा है एवं प्रश्नगत भूमि का प्रयोग शैक्षणिक हो रहा है। आबादी का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान में कृषि कार्य नही हो रहा है। चारो तरफ से वाउन्ड्री आदि बनी है। प्रश्नगत पट्टे की नही है, प्रश्नगत भूमि अनु0 जाति/जनजाति की भूमि नही है। प्रश्नगत गाटा को लेकर कोई भी विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। प्रश्नगत गाटा संख्या के स्थल पर आबादी का प्रयोग हो रहा है, कोई कृषि कार्य नही हो रहा है को उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

तहसील की उक्त आख्या के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध नियम 135(1) की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल एवं तहसीलदार सदर आगरा द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा लाल रोशनाई स्याही से प्रदर्शित किया गया है को, क्षेत्रीय लेखपाल व तहसीलदार सदर द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। नकल खतौनी सन् 1419फ0–1424फ0 में प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। व नकल खसरा सन् 1419फ0, तथा प्रार्थी का शपथपत्र व फोटो संलग्न कर भेजा है। चूकि तहसील आख्या अनुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान में कृषि, मत्सयपालन, कुक्कटपालन, बागवानी इत्यादि के उपयोग में नही आ रही है व तहसील आख्या के साथ संलग्नक शपथपत्र एवं स्थलीय फोटोग्राफ से संतुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि की खाता सं0331 के गाटा सं055 रकवा 0.3320हे0 में 1/2 यानि रकवा 0.1660हे0 मा0गु05.00रू0 धारा 143उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के सपठित नियम 135(3) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ संलग्नक उक्त आदेश का अंग रहेगें। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। पत्रावली वाद आ0कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

13/4/12

(अनिल कुमार)
उप जिलाधिकारी (सदर)
आगरा।

(4)
आवेदन पत्र संख्या
1–आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक 13/4/12
2–आवेदक का नाम ओमवीर
3–स्टाम्प 42.00
4–नकल कार्य निःशुल्क
5–शब्द संख्या 380 लगभग
6–नकल तैयारी का दिनांक 17/4/12
7–नकल वापसी का दिनांक 17/4/12

TRUE COPY
17/4/12